

राजस्थान सरकार


कृषि आयुक्तालय राज0 जयपुर।

क्रमांक प.2(370सी)/ओ0एण्डएम0/टि.नि./आ0कृ0/2020/1579-1720 दिनांक 25-06-2020

कार्यालय आदेश

राज्य में टिड्डी प्रकोप के प्रवेश, विस्तार, पुनःप्रकटन से होने वाली व्यापक हानि से बचाव व रोकथाम के दृष्टिगत खण्डीय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार)/जिला स्तर पर उप निदेशक कृषि (विस्तार) द्वारा जिलों में कार्यरत कृषि विभाग से समबद्ध अन्य विभागों यथा-उद्यान विभाग/राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना/कृषि प्रबंध संस्थान, समेती (आत्मा) में पदस्थापित कार्मिकों की सेवाएँ भी टिड्डीयों के सर्वेक्षण/नियंत्रण/रोकथाम के कार्यों हेतु ली जा सकेंगी।


यह आदेश प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी से अनुमोदित है।


(डॉ. ओम प्रकाश)
आयुक्त कृषि

क्रमांक प.2(370सी)/ओ0एण्डएम0/टि.नि./आ0कृ0/2020/1579-1720 दिनांक 25-06-2020

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव कृषि (ग्रुप-1), सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त कृषि, मुख्यालय।
5. आयुक्त, उद्यान विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. परियोजना निदेशक राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना, जयपुर।
7. निदेशक राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा/समेती (आत्मा), जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त जिला।
9. संयुक्त निदेशक, कृषि (समस्त), दुर्गापुरा, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), समस्त खण्ड।
11. उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद/आत्मा, समस्त।
12. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), समस्त।
13. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
14. आरक्षी पंजिका।


(सीताराम जाट)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)